संख्या-701/2021/आई/119849/41-10021002(001)/54/2021-69(बजट)/2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 07 नवम्बर 2021**

विषय:-जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह के निर्माण कार्य हेतु **पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1856/6-1-1(959)/108-19 दिनांक 10 अगस्त 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह के निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था चयनित करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, यूनिट-2 श्रीनगर गढ़वाल द्वारा गठित आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी धनराशि रू0 11,09,69,000.00 (रूपये ग्यारह करोड़ नौ लाख उनहत्तर हजार मात्र)+जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 4,43,88,000.00 (रूपये चार करोड़ तैंतालिस लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-186/ 2019 /1259/41-2019-69(बजट)/2018 दिनांक 3-7-2019 द्वारा निर्गत की गई थी।

3- **उक्त पृष्ठभूमि में** महानिदेशक पर्यटन के उल्लिखित पत्र दिनांक 10-08-21 द्वारा जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में उ0प्र0 पर्यटक आवास गृह निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था-उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 द्वारा गठित पुनरीक्षित आगणन रू0-1722.89 लाख गठित कराकर उपलब्ध कराते हुये यह अवगत कराया गया है कि:-

(क) योजना पर प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति मिलने के उपरान्त वास्तुविद का चयन किया गया । वास्तुविद द्वारा प्रायोजना के डिजाइन में आवश्यकतानुसार पूर्व प्राविधानों के अतिरिक्त 03 डारमेट्री, किचेन, 02 केयर टेकर कक्ष, 01 मैनेजर कक्ष, रिसेप्शन कक्ष, फायर फाइटिंग , इण्टरकॉम, एप्रोच रोड, सेप्टिक टैंक , वाटर टैंक तथा सरूसे पार्किंग के कार्यों को सम्मिलित किया गया है तथा उक्त संशोधन महानिदेशक पर्यटन के समक्ष वास्तुविद द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर किये गये है।

(ख) प्रायोजना में कतिपय नवीन प्राविधानों के कार्यों को सम्मिलित कराये जाने के कारण कुर्सी क्षेत्रफल में 1208.25 वर्गमीटर तथा लागत में रू0-613.20 लाख की वृद्धि हुई है।

(ग) पुनरीक्षित आगणन के साथ उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अध्ययन से यह विदित हुआ है कि मूल आगणन में भवन का क्षेत्रफल 1291.94 वर्गमीटर था , जिसमें 40 कक्ष, रिक्रियेशन कक्ष , स्टोर कक्ष, रिकार्ड कक्ष , टायलेट सहित सम्मिलित थे एवं इसके अतिरिक्त आगणन में वाह्य स्थल विकास कार्य, आन्तरिक विद्युतीकरण, बाउन्ड्रीवाल, पाथवे-सड़क,गेट, साईन बोर्ड तथा सी0 सी 0 टी 0 वी आदि का प्राविधान था। परियोजना की स्वीकृति के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पश्चात् आर्किटेक्ट का चयन किया गया और उच्च स्तर पर परियोजना के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रायोजना को जनोपयोगी बनाये जाने आवश्यकता के अनुरूप वर्किंग ड्राइंग के आधार पर यह पुनरीक्षित आगणन तैयार कराया गया है , जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

sl no	As per sanction PE		As per Approved drawing		Difference
1	Area for 40 rooms(G+I)	1131.60 Sqm	Area for 40 rooms(G+2)	1424.38 Sqm	292.78 Sqm
	common services Recreation and Store room,Record Room,Toilet,Entrance Room	160.34 Sqm	common services Dining,Kitchen,Dormitory 3Nos,Care taker room 2Nos, Toilets, connecting Corridor, Entrance Lobby, Manager and Back office Room, Stair case] Service room etc.	1075.81 Sqm	915.47 Sqm
	TOTAL	1291.94 Sqm		2500.19 Sqm	1208.25 Sqm

(घ)- उक्त से यह विदित हो रहा है कि पुनरीक्षित आगणन में कुर्सी क्षेत्रफल 1291.94 वर्गमीटर से बढकर 2500.09 वर्गमीटर हो गया है जिसमें मुख्य रूप से किचेन कक्ष, डायनिंग हाल, डोरमेट्री, केयर टेकर कक्ष, मैनेजर कक्ष, आफिस एवं रिसेप्शन कक्ष सहित ,इलक्ट्रिक एवं सर्विस कक्ष ,लिफ्ट , इण्टरकॉम, डीजी सेट , फायर वाटर टैंक एवं फायर फाइटिंग सहित अन्य कई आवश्यक प्राविधान सम्मिलित किये गये है ।

4- उक्त पुनरीक्षित आगणन / प्रस्ताव का परीक्षण / मूल्यांकन पी0एफ0ए0डी0 द्वारा **परिशिष्ट -01 पर संलग्न विवरणानुसार** करते हुये परियोजना के पुनरीक्षित आगणन रू0-1722.89 लाख की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-1700.59 लाख संस्तुत की गई है।

5- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह के निर्माण कार्य हेतु** उपलब्ध कराये गये **पुनरीक्षित आगणन के क्रम में** शासनादेश सं0-186/ 2019 /1259/41-2019-69(बजट)/2018 दिनांक 3-7-2019 द्वारा निर्गत की गई रू0 11,09,69,000.00 (रूपये ग्यारह करोड़ नौ लाख उनहत्तर हजार मात्र)+जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय स्वीकृति को एतद्द्वारा संशोधित करते हुये रू0-1700.59 लाख (रूपये सत्रह करोड उनसठ हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-186/ 2019 /1259/41-2019-69(बजट)/2018 दिनांक 3-7-2019 द्वारा अवमुक्त की गई **प्रथम किश्त की धनराशि रू0 443.88 लाख** का उपयोग उक्त शासनादेश में अंकित सुसंगत शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गई है **अत: महानिदेशक पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।** जी0एस0टी0 की धनराशि कार्यदायी संस्था को **वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी** तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में प्रामाणिक प्रपत्र **–जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन डी0एस0आर0 वर्ष 2018 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी पत्रांक-22(1)/कास्ट इन्डेक्स /मु0अभि0/19 दिनांक 18-10-2019 द्वारा बद्रीनाथ हेतु जारी 33 प्रतिशत कास्ट इन्डेक्स सम्मिलित करते हुये किया गया है। तदनुसार प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण किया गया है।

(5) प्रायोजना के अन्तर्गत सी0सी0टी0वी0 (रू0-7.10 लाख), इ0पी0ए0बी0एक्स सिस्टम (रू0-3.78 लाख) एवं नेटवर्किंग (रू0-1.84 लाख) अनुमन्य नहीं किया गया है । प्रभाग द्वारा उक्त कार्यों को आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर पृथक से किया जाने का अभिमत दिया गया है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/ महानिदेशक पर्यटन का होगा। प्रायोजनान्तर्गत् स्वीकृत कार्यों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना , प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं /आकार में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर के अनुमोदन बिना नहीं किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य संबंधित संस्थाओं /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(12) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से संबंधित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(14) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।।

(15) प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(17) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से संबंधित लाइटों /उपकरणों का क्रय 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-828/दस-2021 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक -यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, चमोली।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7- महाप्रबन्धक, (उत्तराखण्ड) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, यूनिट-2 श्रीनगर गढ़वाल।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक पर्यटन निदेशालय लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।